आवश्यक/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

2– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

संख्या–211 /ईपीडी0/जे0ई0/2017–18 दिनांक 17.7.17

विषय– **जनपदों के सूकर पशुओं पर जैपेनीज इन्सेफलाइटिस पर चरण बद्व तरीकों से कार्यवाही करने हेतु कार्ययोजना।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके मण्डल अन्तर्गत जनपदों में जैपेनीज इन्सेफलाइटिस का प्रभाव सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। वर्णित बीमारी के सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन स्तर पर भी निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

विभाग द्वारा अन्य क्षेत्र जहाँ इस संक्रामक रोग का प्रभाव नही है, में सूकर पालन कर रहें पशुपालकों या सूकर पालन करने वाले इच्छुक पशुपालकों को प्रशिक्षण देते हुए जागरूकता पैदा की जा रही है जिससे स्वच्छ सूकर पालन किया जा सके एवं सूकर बाड़ो की साफ–सफाई रखते हुए सूकर बाड़ो के आस–पास वेक्टर कन्ट्रोल के कार्यकम को कियान्वित करावाया जाय जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जे0ई0 बीमारी के प्रभाव की रोकथाम मे सहयोग किया जाए। सूकर पालन कार्य आबादी क्षेत्र से 3–4 कि0मी0 की दूरी पर होना चाहिए जिससे मच्छरों की संख्या मे आशातीत कमी की जा सके। **डब्ल्यू0एच0ओ0 (2008) एवं ओ0आई0ई0(2008) की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि क्षेत्र के सूकर पशुओं के वध करने मात्र से बीमारी के प्रकोप को नही रोका जा सकता है। जिस कारण पशुओं की सूरक्षा भी आवश्यक है।**

अपने मण्डल/जनपद के अधीन जनपदों के सूकर पालक परिवारों को निरन्तर स्वच्छ सूकर पालन हेतु प्रशिक्षित किया जाए साथ ही जैपेनीज इन्सेफलाइटिस बीमारी की रोकथाम का प्रशिक्षण भी दिया जाय।

विशेष ध्यान–

सूकर पालन वैज्ञानिक विधि से मानक के अनुरूप आवासो में कराये जाने हेतु जिलाधिकारी एवं स्थानीय नगर निकाय के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर करवाया जाये। जनपद की पशुरोग महामारी की निगरानी की मासिक सूचनामें उल्लेख अवश्य किया जाये। निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1– सूकर पालकों मे जागरूकता लाकर सूकरो को सूकर बाड़े में ही रखकर पालने हेतु प्रोत्साहित करें।

2– सूकर बाड़ों को लोहे की जाली या मच्छर दानी से ढककर रखा जाये तथा साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था की जाये।

epd

3— जनपदों में सूकर पालन की नई इकाईयों की स्थापना मानव कालोनियो से दूर आधुनिक बाड़े बनाकर की जाये।

4— सूकर बाड़ो के पास जल भराव न होने दे तथा बाड़ो की साफ—सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये।

5— आवारीय कालोनियों में छुटटा रूप से विचरण करने वाले सूकरो पर प्रतिबन्ध लगवाने हेतु जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी से सम्पर्क करें।

इस प्रकार आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त कार्ययोजना का संचालन अधीनस्थ क्षेत्र में चरण बद्व रूप से किया जाना सुनिश्चित करेगें। जनपदो मे आयोजित की जा रही विभिन्न पशुपालक गोष्ठियों में इस रोग के बारे में व स्वच्छ सूकर पालन कैसे करें, विषय में अवश्य पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाये। मण्डल / जनपद द्वारा उठाये गये कदम से निदेशालय को भी अवगत करायेगें। कार्ययोजना कियान्वयन में कोई शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय

17.7.17

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्या— 211 / ईपीडी0 / जे0ई0 / 2017—18 दिनांक 17.7.17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

2— संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

17.7.17

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

epd